


आदेश

बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु मद्यनिषेध इकाई, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का गठन किया गया है, जिसके सुचारु रूप से संचालन हेतु पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध इकाई), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को मद्यनिषेध इकाई, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार पटना में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	पदनाम एवं नाम	पदस्थापित जिला/इकाई
1.	पु०नि० श्री सुनिल	जहानाबाद
2.	पु०नि० अनिल कुमार यादव	मुजफ्फरपुर
3.	पु०नि० सत्येन्द्र कुमार शाही	जहानाबाद
4.	पु०नि० कमलेश शर्मा	गया
5.	पु०नि० अनिल कुमार सिंह	पटना
6.	पु०अ०नि० जय प्रकाश सिंह	गया
7.	पु०अ०नि० शिव बचन रजक	मोतिहारी
8.	पु०अ०नि० अमित कुमार	गया
9.	पु०अ०नि० संतोष कुमार	सारण
10.	पु०अ०नि० चंद्र भूषण पांडेय	मोतिहारी
11.	स०अ०नि० संजय कुमार-3	औरंगाबाद
12.	सिपाही-627 अनिकेत कुमार सिंह	गोपालगंज
13.	सिपाही-449 कुमार गौरव	पटना
14.	सिपाही-73 श्यामजी उपाध्याय	रोहतास
15.	सिपाही-190 अभिमन्यु कुमार	गोपालगंज
16.	सिपाही-788 रवीश कुमार	पटना
17.	सिपाही-601 विष्णु विनायक कश्यप	औरंगाबाद
18.	सिपाही-818 मुकेश कुमार	पटना
19.	सिपाही-6982 दीपक नारायण चौधरी	पटना
20.	सिपाही-3010 विपिन कुमार थापा	पटना
21.	सिपाही- अरविंद कुमार	बेतिया
22.	सिपाही-1703 अमित कुमार पाल	पटना
23.	सिपाही अरुण कुमार ठाकुर	सीतामढी
24.	सिपाही-365 ब्रिजेश कुमार	जहानाबाद
25.	सिपाही-721 श्री नारायण सिंह	रेल पटना

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,


17-3-18
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 239/360724/पी०-2


07-06-01-18

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 18/03/18

प्रतिलिपि :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
 2. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
 1. पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध इकाई), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
 5. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को मद्यनिषेध इकाई, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना में योगदान करने हेतु अविलंब विरमित कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. प्रशाखा पदाधिकारी, पी०१ एवं पी०३, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


17-3-18
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।